भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4020
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत योजना का प्रभाव

4020. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी बुनियादी ढांचे, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों में सुधार पर अमृत योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) उक्त योजना के तहत लाभान्वित शहरी परिवारों की संख्या कितनी है तथा कितने शहरी परिवारों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क में किए गए सुधारों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) शहरों में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/उठाए जा रहे हैं तथा अमृत योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(ङ) उक्त योजना के हाल के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या रहे तथा विलंब और अक्षमताओं को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 25 जून, 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में (अमृत) प्रारंभ किया गया था। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मूलभूत इंन्फ्रास्ट्रक्चरों के विकास पर केंद्रित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 77,640 करोड़ रुपये के स्वीकृत योजना आकार की तुलना में, 83,374

करोड़ रुपये की लागत की 5,995 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 78,404 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं।

अमृत मिशन के तहत राज्यों के साथ समन्वय करके 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/मरम्मत किए गए) प्रदान किए गए हैं; 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/ मरम्मत किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से कवर किए गए आवासों सहित) प्रदान किए गए हैं; 19,598 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 64,463 किलोमीटर का जलापूर्ति नेटवर्क बिछाया गया है; 4,429 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) और 4,649 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; 1,379 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 3,621 जल जमाव बिंदुओं को समाप्त किया गया है; 5,044 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल यात्री/पैदल पथ और 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं।

(घ) और (ड.): अमृत मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी अवधि वाली बड़ी इंन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, जलवायु संबंधी चुनौतियां, अपेक्षित मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में देरी तथा जटिल शहरी इंन्फ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाओं के लिए अनुभवी और तकनीकी रूप से कुशल ठेकेदारों की कमी आदि के कारण से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है।

अमृत दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ

नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए जल नल कनेक्शनों के प्रावधानों की प्रगति और परियोजना-वार परिणामों की निगरानी के लिए एक समर्पित अमृत ऑनलाइन पोर्टल है। इसके अलावा, नीति आयोग ने जून, 2020 में शहरी परिवर्तन क्षेत्र में अमृत सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन पर समीक्षा की थी। अध्ययन में कवरेज, सार्वभौमिक डिज़ाइन का समावेश, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, गरीबों के हित में डिज़ाइन करना, प्रवास और लाभार्थी लक्ष्यीकरण जैसे प्रमुख मापदंडों का मूल्यांकन किया गया। योजना के तहत कार्य निष्पादन संतोषजनक बताया गया क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों सहित सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

******